उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा

संख्या-108/2021/I/97581/2021-71-2099/262/2021/71-2-2021

लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2021

<u>शुद्धि-पत्र</u>

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-I/95659/2021, दिनांक 07.09.2021 द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय) में सेन्ट्रल ए0सी0 कार्य के अंतर्गत जी0एस0टी0 मद में किये गये भुगतान के समायोजन हेतु रू0 1,18,60,883.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन में बिन्दु संख्या-7 पर निदेशक, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ के स्थान पर त्रृटिवश महाप्रबन्धक / परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त त्रृटि के निराकरण हेतु शासनादेश संख्या-I/95659/2021, दिनांक 07.09.2021 के पृष्ठांकन में बिन्दु संख्या-7 पर महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ के स्थान पर निदेशक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ पढ़ा जाय एवं शासनादेश दिनांक 07.09.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार -:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार (हकदारी एवं लेखा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3) निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
4) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6) वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8) निदेशक, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in